जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली—

प्रेस विज्ञप्ति 30.09.2025

यातायात पुलिसकर्मी की मुस्तैदी व त्वरित कार्यवाही से बची मोटर साईकिल चालक की जान।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई "राहवीर योजना" के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात श्रीमती अपेक्षा निम्बाड़िया के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29 सितम्बर 2025 को मुख्य आरक्षी (यातायात) सचिन कुमार विजय चौक पर ड्यूटी के दौरान मुस्तैदी से तैनात थे। इसी समय एक मोटरसाइकिल संख्या UP-19C-4377 अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे चालक को गंभीर चोटें आईं।

मुख्य आरक्षी (यातायात) द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति को तत्काल जिला चिकित्सालय, शामली पहुँचाया गया। घायल ने अपना नाम अनमोल पुत्र मनोज, निवासी गली नंबर-2, दयानंद नगर, थाना कोतवाली शामली जनपद शामली बताया। उक्त जानकारी के आधार पर उसके परिजनों को तुरंत सूचित किया गया, जिसके पश्चात परिजन शीघ्र ही जिला चिकित्सालय पहुंचे। मुख्य आरक्षी (यातायात) की मुस्तैदी एवं त्वरित कार्यवाही के फलस्वरूप घायल को समय पर चिकित्सीय सहायता प्राप्त हुई और उसका जीवन सुरक्षित रह सका।

राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को “गोल्डन-ऑवर” (पहले 1 घंटे) के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को ₹25,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.09.2025 को थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना आदर्शमण्डी पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक आदर्शमण्डी को दिये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्ताः-

1.श्रीमती मुकेश पत्नी जयपाल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बनत में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त कैंची बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 29.09.2025 को श्री हर्ष पुत्र मुकेश निवासी मौहल्ला प्रेमनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली की कस्बा बनत स्थित अपनी दुकान पर बैठे समय अभियुक्त आरिश चौधरी उर्फ आर्ची पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला प्रेमनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली द्वारा कैंची से जानलेवा हमला कर घायल कर देने के सम्बन्ध में श्री हर्ष उपरोक्त द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 30.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा बनत में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त कैंची सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.आरिश चौधरी उर्फ आर्ची पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला प्रेमनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त कैंची।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 30.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1.मेहताब पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 29.09.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विक्रम पुत्र जादोराम निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 15 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विक्रम पुत्र जादोराम निवासी ग्राम खानपुर जाटान थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 15 लीटर अवैध कच्ची शराब।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI